उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी नहीं ।

मैसर्स सहारा डिपोजिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी द्वारा करोड़ों रुपयों का घोटाला

4719. **श्री छोटे सिंह यादव :**
श्री जगपाल सिंह :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री रामजी भाई मावणि

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मई, 1983 के "जनयुग" में इनवेस्टमेंट कम्पनी द्वारा करोड़ों रुपयों का घोटाला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके घोटाले के शिकार व्यक्तियों को "सहारा डिपोजिट एन्ड इन्वेस्ट कम्पनी" में उनकी जमा धनराशि का कब तक भुगतान कर दिया जाएगा और कितनें जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि पहले ही वापस कर दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जाँच करायी है और यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का ब्योरा क्या है और कुल कितनी धनराशी का घोटाला किया गया और यदि कोई जांच नहीं कराई गई तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस प्रकार के घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) सरकार और रिजर्व बैंक आफ इंडिया को सहारा डिपोजिट एंड इनवेस्टमेंट लि०, जिसके देश भर में कार्यालय हैं और बम्बई में मुख्य कार्यालय है, के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं । रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कहा है कि कम्पनी के कार्यकलाप प्राइज चिट्स और मनी सरकूलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, 1978 के क्षेत्र में आते हैं । राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन इस अधिनियम के उपबंध लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं । जमाकर्त्ता कम्पनी पर अपने किसी दावे के बारे में न्यायालयों में जा सकते हैं ।

प्राप्त शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने फार्म के विरूद्ध 3 मामले दर्ज किए हैं और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है । कम्पनी द्वारा जारी की गई कैश रसीदें कब्जे में ले ली गई हैं और 6 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए हैं ।

(घ) जब कभी कोई ऐसा मामला ध्यान में आता है, तो तुरन्त कानूनी कार्यवाही की जाती है ।

Supply of Cement to Madhya Pradesh

4720. DR. VASANT KUMAR PANDIT : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the Advisory Council of the Public Distribution System had a Central-State meeting in Delhi on 20 May, 1983 ;

(b) the supply figure of cement to Madhya Pradesh during 1982-83 ;

(c) the demand of Madhya Pradesh during 1983-84 ;